न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0–87 / 2026
आदेश

08.04.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त 1. सुमित कुमार एवं 2. अभय कुमार की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) एवं 317(5) के अधीन दर्ज नासरीगंज थाना कांड सं0 433 / 2025 में दिनांक 18.12.2025 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.12.2025 को सूचक शंकर दयाल सिंह ने पंजाब नैशनल बैंक, इटिम्हा से 50,000 / – रुपया निकालकर नासरीगंज बाजार आया था और उक्त राशि को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर खरीदारी करने लगा। इसी दौरान दो व्यक्तियों ने डिक्की का ताला तोड़कर उक्त राशि को निकाल लिया और वे मोटरसाईकिल से भागने लगे। जब सूचक ने शोर मचाया तो स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया तथा पुलिस को सूचना दी गई। नासरीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर अभियुक्तों की तलाशी ली, जिसके पास से 50,000 / – रुपया तथा एक मोटरसाईकिल बरामद हुआ। अभियुक्तों ने अपना नाम सुमित कुमार एवं अभय कुमार बताया।

आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तों के द्वारा पूर्व में इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी झूठी तथा मनगढ़ंत है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त सुमित कुमार का चार आपराधिक इतिहास है तथा आवेदक अभियुक्त अभय कुमार का तीन आपराधिक इतिहास है। आवेदक अभियुक्तों का इस मामला से कोई संबंध नहीं है और इस अपराध में उनका कोई संलिप्तता नहीं है। दोनों अभियुक्तगण आपस में सगे भाई हैं। आवेदक अभियुक्तों के भौतिक कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक 18.12.2025 से कारा में है। अतः आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि आवेदक अभियुक्तगण अभ्यस्त अपराधी है। आवेदक अभियुक्त सुमित कुमार ने अपना आपराधिक इतिहास छिपाया है।

लगातार
08.04.2026

आवेदक अभियुक्त सुमित कुमार ने जमानत प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया है। आवेदक अभियुक्त अभय कुमार का भी आपराधिक इतिहास है। आवेदक अभियुक्तों की घटनास्थल से गिरफ्तारी होने की बात कही जाती है तथा आवेदक अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए रुपयों की बरामदगी की भी बात कही जाती है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्तगण इस वाद में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्तों की घटनास्थल से गिरफ्तारी होने की बात कही जाती है तथा आवेदक अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए रुपयों की भी बरामदगी की बात कही जाती है। आवेदक अभियुक्त सुमित कुमार ने अपना आपराधिक इतिहास छिपाया है तथा गलत तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवेदक अभियुक्त सुमित कुमार का छः आपराधिक इतिहास है। आवेदक अभियुक्त सुमित कुमार ने अपना तीन आपराधिक इतिहास छिपा लिया है। आवेदक अभियुक्त अभय कुमार का भी आपराधिक इतिहास है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात मैं आवेदक अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्तों का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।